रजिस्ट्री सं० डी० 111

REGISTERED NO. D-111

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 7, 1968 (भाद्र 16, 1890)

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 7, 1968 (BHADRA 16, 1890)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 19 अगस्त 1968 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 19th August 1968 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
163.	No. 169-ITC(PN) 68, dt. 19.8.68	Min. of Commerce	Import Policy for spare parts for agricultural tractors and for tractor drawn agricultural implements [S.No. 74 (iii)/V] for the April 1968-March 1969.
	No. 170-ITC (PN)/68, dt. 19.8.68	-do-	Imports from U.S.A. under the U.S. Aid Commodity Programme Assistance, 1966 (AID Loan No. 386-H-160)—Minimum value of individual shipments permissible.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these *Gazettes*.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	627
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	979
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	61
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	777
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड —उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . .	2069
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . . .	3953
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . .	461
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	731
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	345
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उन के प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं .	101
भाग III—खंड 4—विविध निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं .	483
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें .	163
पूरक संख्या 36—	
31 अगस्त 1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	1481
10 अगस्त 1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े .	1495

	Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	627
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	979
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	61
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence ..	777
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	2069
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3953
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	461
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	731
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	345
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	101
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	483
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	163
SUPPLEMENT No. 36—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 31st August 1968	1481
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 10th August 1968	1495

भाग I—खंड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिक नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 1968

सं० 63-प्रेज/68—राष्ट्रपति मणिपुर राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री सालम श्यामकिशोर सिंह,
कमांडेंट, 4थी बटालियन,
मणिपुर राइफल्स,
इम्फाल।

श्री चन्द्रमन राय,
सूबेदार, 4थी बटालियन,
मणिपुर राइफल्स,
इम्फाल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

29 अप्रैल, 1967 को लगभग 250 विद्रोहियों ने, जो राइफलों, हल्की मशीनगनों, दो इंच के मार्टरों तथा राकेट लांचरों से लैस थे, खाओखिलोक में स्थित मणिपुर राइफल्स की 4थी बटालियन की एक कम्पनी के अस्थाई शिविर को घेर लिया। विद्रोहियों तथा पुलिस दल के बीच डटकर लड़ाई हुई। पुलिस दल कठिन स्थिति में था क्योंकि उसका गोलाबारूद का भण्डार पिछले दिनों की मुठभेड़ों के कारण काफी खाली हो गया था। विद्रोही इस दल पर भारी दबाव डालते रहे और अन्त में उन्होंने शिविर पर धावा बोल दिया।

ऐसी विकट परिस्थिति में श्री सालम श्यामकिशोर सिंह तथा सूबेदार चन्द्रमन राय दोनों कमान चौकी से बाहर निकल आए और जब कि श्री सालम श्यामकिशोर सिंह ने अग्रिम खाइयों के सिपाहियों को हथगोले, गोलाबारूद तथा मार्टर शैल दिये, श्री चन्द्रमन राय ने विद्रोहियों पर गोले फेंके तथा घायलों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया। उन्होंने विद्रोहियों के आवरक दल पर भी मार्टरों से गोले बरसाए।

यह श्री सालम श्यामकिशोर सिंह तथा सूबेदार चन्द्रमन राय ही की सावधानी, पहलशक्ति तथा नेतृत्व का फल था कि शिविर को विद्रोहियों के कब्जे में जाने से बचाया जा सका।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 29 अप्रैल, 1967 से दिया जायेगा।

सं० 64-प्रेज/68—राष्ट्रपति मणिपुर राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री हयात सिंह,
नायक, 4थी बटालियन,
मणिपुर राइफल्स,
इम्फाल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

24 अप्रैल, 1967 को मणिपुर राइफल्स का एक गश्ती दल कुछ विद्रोहियों, जिन्होंने सेराराखोंग में एक शिविर बना रखा था, का मुकाबला करने के लिये भेजा गया। किन्तु विद्रोहियों ने अपने शिविर में आग लगा दी और भाग खड़े हुए। तब यह निर्णय किया गया कि सेराराखोंग में कम्पनी की एक चौकी स्थापित की जाय। 26 अप्रैल, 1967 को जब कम्पनी की दो प्लाटूनें खाओखिलोक से तीन मील पर थीं, तो उन पर विद्रोहियों ने, जो मार्ग की आस-पास की खाइयों में छिपे थे, गोलाबारी की। तत्पश्चात मुठभेड़ हुई। निरन्तर गोलाबारी की परवाह न करते हुए श्री हयात सिंह अपनी टुकड़ी को बाईं ओर आगे ले गए और विद्रोहियों को कुचल दिया। मुठभेड़ में घायल हुए व्यक्तियों को भी उन्होंने निकाला।

इस घटना में श्री हयात सिंह ने विद्रोहियों द्वारा अधिकृत क्षेत्र पर अधिकार करके प्रशंसनीय साहस तथा पहल-शक्ति का प्रदर्शन किया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 अप्रैल, 1967 से दिया जायेगा।

नागेन्द्र सिंह, राष्ट्रपति के सचिव

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 23 अगस्त 1968

सं० एफ० 8-12/66-एस० डब्ल्यु०-3—समाज कल्याण विभाग के संकल्प संख्या एफ० 8-12/66-एस० डब्ल्यु०-3, दिनांक 18 सितम्बर, 1967 का संशोधन करके भारत सरकार श्री विद्या प्रकाश के स्थान पर श्री आर० वी० शुक्ल, निदेशक (औद्योगिक संबंध),

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (श्रम एवं रोजगार विभाग) को उस मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में बाल कल्याण संबंधी समिति में नामित करती है ।

बी० एस० रामदास, उप सचिव

गृह मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली-11, दिनांक 24 अगस्त, 1968

सं० 8/1/67-हि० स० स०—इस मंत्रालय के तारीख 9 जून, 1967 के संकल्प सं० 8/1/67-हि० स० स० के अधीन पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति में श्री एन० एम० आर० सुब्बारामन के स्थान पर भारत सरकार डा० ए० बी० नागेश्वर राव को समिति के सदस्य के रूप में सहर्ष नियुक्त करती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सब राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानी मंत्री सचिवालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाय ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में आम जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाय ।

प्रेम नाथ धीर, उप सचिव

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1968

सं० एल० ई० आई० (ए०)-16(1)/67—इस मंत्रालय के संकल्पों सं० एल० ई० आई० (ए०)-16(1)/67 दिनांक 16 फरवरी, 1968 तथा 15 मई, 1968 को जारी रखते हुए, भारत सरकार ने चिकित्सा यंत्रों, उपकरणों तथा साधनों की विकास सलाहकार समिति की रचना में निम्नलिखित वृद्धि करने का निर्णय किया है:—

श्री के० एल० तलवार,	सदस्य
ए० एस० डी०,	
सामान्य भण्डार का मुख्य निरीक्षणालय,	
रक्षा मंत्रालय, पोस्ट बाक्स सं० 127,	
कानपुर ।	

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाये और सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे भारत का राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

डी० आर० सुन्दरम, संयुक्त सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग—भा० कृ० अनु० परि०)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त, 1968

सं० 29(1)/67-समन्वय (1)—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 75 में की गई व्यवस्थाओं के अन्तर्गत खाद्य तथा कृषि मंत्री, कृषि योजना आयोग के प्रधान डा० के० कानूनगो को, संस्था की कृषि शिक्षा की स्थायी समिति का 8 अगस्त, 1968 से 30 जुलाई, 1969 तक अथवा उस समिति में उनके उत्तराधिकारी मनोनीत किये जाने, इनमें से जो भी अवधि पहले समाप्त हो, तक सहर्ष सदस्य मनोनीत करते हैं ।

पी० एस० हरिहरन, उप सचिव

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय

(अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय)

संस्थाएं

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 1968

सं० 6-आई० डब्लू० टी० (34)/68—1959 में अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति (गोखले समिति) द्वारा अंतर्देशीय जल परिवहन की समस्याओं का पुनरीक्षण किया गया था । समिति ने उन क्षेत्रों में प्रयासों को एकत्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया जहां अन्तर्देशीय जल परिवहन आवश्यक पार्ट अदा कर रहा था । मार्च, 1965 में परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय के अधीन अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय स्थापित किया गया । इसका कार्य अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास से संबद्ध तकनीकी मामलों को करना था ।

2. यद्यपि समिति की कई सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी है और कुछ जलमार्गों की नौगम्यता में तकनीकी सुधार भी किये जा चुके हैं किन्तु आधार तथ्य रहता है कि परिवहन के इस रूप में कोई विशेष प्रगति नहीं की है । उसके विकास को रोकने वाला एक मुख्य तथ्य, वाणिज्यिक जीवन क्षम नदी सेवाओं के चलाने के लिये क्षेत्रीय आधार पर बनाये गये उचित विचार किये गये परियोजनाओं की कमी है, जिसे ठीक तरह पर अन्तर्देशीय जल परिवहन को रखने की दृष्टि से परिवहन के अन्य रूपों के साथ सहयोग कर चलना है, विशेष कर उन क्षेत्रों में जहां संकुल माल के लेजाने के रूप में वह कुछ स्वाभाविक लाभकारी दिखाई देता है ।

3. दस से पन्द्रह वर्षों की अवधि में विकास कार्यक्रम को बनाने की दृष्टि से प्रत्येक राज्य में अन्तर्देशीय जल मार्ग शक्यता के विस्तृत परीक्षण में निश्चय ही कुछ समय लगेगा । इसलिये यह जरूरी समझा जाता है कि चुने क्षेत्रों में विशेष योजनायें पहली प्रावस्था में बनाई जाये जिससे जल्दी से जल्दी जल सेवायें चलाई जा सकें । अतएव यह निश्चय किया गया है कि निम्न विचारार्थ विषयों के लिये तथा गठन की एक समिति बनाई जाये :—

गठन—

1. श्री बी० भगवती, सदस्य लोक सभा	अध्यक्ष
2. श्री ज्योतिर्मयी बासु, सदस्य लोक सभा	सदस्य

3. श्री चन्द्रिका प्रसाद, सदस्य लोक सभा	सदस्य
4. श्री आनन्द चन्द, सदस्य राज्य सभा	सदस्य
5. श्री यू० एन० महीदा, सदस्य राज्य सभा	सदस्य
6. श्री टी० पी० कुटिम्भू, सदस्य राज्य योजना बोर्ड, केरल	सदस्य
7. श्री जी० के० विज, केन्द्रीय जल और बिजली आयोग	सदस्य
8. श्री टी० एन० दार, अतिरिक्त सदस्य (वाणिज्यिक), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)	सदस्य
9. श्री एस० रामानाथन निदेशक (परियोजना), परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय	सदस्य
10. श्री आर० रामाकृष्णन्, परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय अन्तरिक वित्तीय सलाहकार	सदस्य
11. श्री के० श्रीनिवासन केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम, कलकत्ता	सदस्य

विचारार्थ विषय :

1. देश के मौजूदा अन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था का अध्ययन और देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस रूप के विकास को दृष्टि में रख कर विकास के एक व्यवस्थित कार्यक्रम का सुझाव देना और पहली अवस्था में चुने क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करने की सम्भावना का निर्धारण करना ।

(क) क्षेत्र के परिवहन तंत्र के एक अंग के रूप में अन्तर्देशीय जल परिवहन के समन्वित चालन की आवश्यकता;

(ख) यातायात की मात्रा जलमार्गों के विकास और रख रखाव की लागत और इस प्रयोजना के लिये यान और उचित संस्थाओं के वरण को दृष्टि में रखते हुये जीवन क्षम वाणिज्यिक सेवायें चलाने की शक्यता– और

(ग) सामान्य बुकिंग और यानान्तरण, सीधी दरें और किराया इत्यादि, जैसे चालनों के लिए विभिन्न परिवहन साधनों के एकत्रीकरण की आवश्यकता ।

2. इस प्रयोजन के लिए ऐसी विशिष्ट योजनाओं को लागू करने के लिए सहायक उपायों को सुझाना तथा उनकी परीक्षा करना और विशेषकर अल्पकालीन सहायक उपाय जिनमें वित्तीय सहायता का प्रकार और विभिन्न परिवहन साधनों द्वारा वहन किया जाने वाला यातायात शामिल है ।

3. विचारार्थ विषयों से संबद्ध अन्य मामलों की सिफारिश करना ।

4. यह समिति अपना प्रतिवेदन 6 महीनों के अन्दर देगी और वह ऐसे स्थानों का दौरा कर सकती है जो उसके काम के लिये जरूरी हो ।

5. भारत सरकार आशा करती है कि राज्य सरकारें और अन्य इससे संबंध रखने वाले इस समिति को सभी आवश्यक सहायता और अपेक्षित जानकारी देंगे ।

आदेश

आदेश दिया गया है कि इस संस्ताव की एक एक प्रति राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिवों, प्रधान मंत्री के सचिवालय, मंत्रिमंडल के सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सब मंत्रालयों और राज्य सरकारों को भेज दी जाये ।

यह भी आदेश दिया गया है कि इस संस्ताव को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

एस० चक्रवर्ती, सचिव

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 27 अगस्त, 1968

सं० 24/3/68-एफ० पी०—समय समय पर संशोधित भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या 1/29/58-एफ० पी० तारीख 5 फरवरी, 1959 के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने श्रीमती टी० बी० वहेजिया के स्थान पर श्रीमती सरला सेठ को, 19 जून, 1968 से दो वर्ष के लिए, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई का सदस्य नामज़द किया है ।

बानू राम अग्रवाल, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 27th August 1968

No. 63-Pres./68.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Manipur Rifles :—

Names of the officers and ranks

Shri Salam Shyamkishore Singh,
Commandant,
4th Battalion, Manipur Rifles,
Imphal.

Shri Chandraman Rai,
Subedar,
4th Battalion,
Manipur Rifles,
Imphal.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 29th April, 1967, the temporary camp of a company of the 4th Battalion of Manipur Rifles at Khaokhilok was besieged by about 250 hostiles who were armed with rifles, Light Machine Guns, 2" Mortars and Rocket launchers. A pitched battle took place between the hostiles and the police party. The police party was at a disadvantage because its stock of ammunition had been considerably depleted due to encounters on previous days and was hard pressed by the hostiles who eventually charged on the camp.

At this critical moment both Shri Shyamkishore Singh and Subedar Chandraman Rai came out of the Command post and while Shri Shyamkishore Singh supplied hand grenades, ammunition and mortar shells to the men in the front trenches, Shri Chandraman Rai hurled grenades on the hostiles and evacuated the injured to places of safety. He also pounded mortar shells on the covering party of the hostiles.

It was because of the presence of mind, initiative and leadership of Shri Shyamkishore Singh and Subedar Chandraman Rai that the camp was saved from being overrun by the hostiles.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 29th April, 1967.

No. 64-*Pres.*/68.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Manipur Rifles :—

Name of the officer and rank

Shri Hayat Singh,
Naik,
4th Battalion, Manipur Rifles,
Imphal.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 24th April, 1967, a patrol party of the Manipur Rifles was sent to engage the hostiles who had set up a camp at Serarakhong but the hostiles set fire to their camp and ran away. It was then decided that a company post be established at Serarakhong. On the 26th April, 1967 when the two platoons of the Company were three miles from Khaokhilok, they were fired upon by the hostiles who had entrenched themselves on the features around the path. An encounter followed. Shri Hayat Singh without regard for the incessant firing led his section ahead towards the feature on the left and overwhelmed the hostiles. He also evacuated the persons injured in the encounter.

In this incident, Shri Hayat Singh showed commendable courage and initiative in capturing the feature occupied by the hostiles.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th April, 1967.

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-1, *the* 26*th August* 1968

No. 3/1/68/*PAC*.—Shri G. H. V. Momin, Member of Rajya Sabha has been declared as duly elected to serve as a member of the Committee on Public Accounts for the unexpired portion of the term ending on the 30th April, 1969 *vice* Shri M. M. Dharia, Member of Rajya Sabha who resigned from the Committee.

AVTAR SINGH RIKHY, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi-1, *the* 23*rd August* 1968

No. F.8-12/66-*SW*.3—In modification of the Department of Social Welfare Resolution No. F.8-12/66-SW.3, dated the 18th September, 1967, the Government of India are pleased to nominate Shri R. B. Shukla, Director (Industrial Relations), Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) as the representative of that Ministry on the Committee on Child Welfare, *vice* Shri Vidya Prakash.

B. S. RAMDAS, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RESOLUTION

New Delhi-11, *the* 24*th August* 1968

No. 8/1/67-*HSS*.—The Government of India has been pleased to appoint Dr. A. B. Nageshwar Rao as a member of the Hindi Salahkar Samiti reconstituted under this Ministry's Resolution No. 8/1/67-HSS, dated 9th June, 1967 in place of Shri N. M. R. Subbaraman, who has ceased to be a member.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, Administrators of Union Territories, all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Planning Commission, Comptroller & Auditor General, A.G.C.R., New Delhi, the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. N. DHIR, Dy. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

RESOLUTION

New Delhi, the 21*st August* 1968

No. LEI(*A*)-16(1)/67.—In continuation of this Ministry's Resolutions No. LEI(A)-16(1)/67 dated the 16th February, 1968 and the 15th May, 1968, the Government of India have decided to make the following addition in the composition of the Advisory Committee for the Development of Medical Instruments, Equipment and Appliances :—

Shri K. L. Talwar, A.S.D.,
Chief Inspectorate of General Stores,
Ministry of Defence,
Post Box No. 127,
Kanpur. *Member*

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

D. R. SUNDARAM, Jt. Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION

(Department of Agriculture)

(I.C.A.R.)

New Delhi, the 24*th August* 1968

No. 29(1)/67-*CDN*(*I*).—Under the provisions of Rule 75 of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, the Minister of Food and Agriculture has been pleased to nominate Dr. K. Kanungo, Chief, Agriculture, Planning Commission, to be a member of the Standing Committee for Agricultural Education of the Society for the period from the 8th August, 1968 to the 30th July, 1969, or till such time as his successor is nominated on that Committee, whichever period expires earlier.

P. S. HARIHARAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING

(Inland Water Transport Directorate)

New Delhi, the 27*th August* 1968

RESOLUTION

No. 6-*IWT*(34)/68.—The problems relating to Inland Water Transport were reviewed in the past by the Inland Water Transport Committee (Gokhale Committee) in 1959. The Committee stressed the need to concentrate efforts on those regions where inland water transport continued to play an essential role. An Inland Water Transport Directorate was set up in March 1965 under the Ministry of Transport & Shipping to deal with technical matters relating to the development of inland water transport.

2. Although a number of the recommendations of the Committee have been implemented and technical improvements were carried out in the navigability of some waterways, the basic fact remains that this form of transport has not made any appreciable headway. One of the main factors retarding its development is the absence of properly conceived projects, formulated on a regional basis for the running of commercially viable river services,in coordination with other forms of transport with a view to placing inland water transport on a proper footing, particularly in those regions where it offers certain natural advantages as a carrier of commodities in bulk.

3. A comprehensive examination of inland waterway potential each State with a view to formulating a phased programme of development over a period of 10 to 15 years will necessarily take some time. It is, therefore, considered essential that specific schemes in selected regions should be drawn up in the first phase to enable the starting of water transport services as early as possible. It has, therefore, been

decided to set up a Committee with the following composition and terms of reference :

Composition :

Chairman

1. Shri B. Bhagavati, Member, Lok Sabha.

Members

2. Shri Jyotirmoy Bosu, Member, Lok Sabha.
3. Shri Chandrika Prasad, Member, Lok Sabha.
4. Shri Anand Chand, Member, Rajya Sabha.
5. Shri U. N. Mahida, Member, Rajya Sabha.
6. Shri T. P. Kuttiammu, Member, State Planning Board, Kerala.
7. hrSi G. K. Vij, Member (WR) Central Water & Power Commission.
8. Shri T. N. Dar, Additional Member (Commercial), Ministry of Railways (Railway Board).
9. Shri S. Ramanathan, Director (Projects), Member, Ministry of Transport & Shipping.
10. Shri R. Ramakrishna, Internal Financial Member Adviser, Ministry of Transport and Shipping.
11. Shri K. Srinivasan, Managing Director, Member Central Inland Water Transport Corporation Ltd., Calcutta.

Terms of reference :

(i) To study the existing inland water transport system in the country, and against a perspective of development of this form of transport in different regions of the country, suggest a phased programme of development and assess the possibilities of drawing up specific schemes in selected regions in the first phase, having regard to :—

(a) the need for the coordinated working of inland water transport as an integral part of the transport system of the region;

(b) the feasibility of operating commercially viable service taking into account the volume of traffic, cost of development and maintenance of waterways, choice of craft and suitable organisation for the purpose; and

(c) the need for pooling of operations between different modes of transport such as common booking and transhipment, through rates and fares etc.

(ii) To examine and suggest supporting measures to this end, and in particular, short term supporting measures, including pattern of financial assistance and sharing of traffic between different forms of transport, for implementing such specific schemes.

(iii) To recommend on any other matters germane to the terms of reference.

4. The Committee will submit its report within six months and may visit such places as may be necessary in connection with its work.

5. The Government of India hope that the State Governments and others concerned will afford the Committee all the assistance it may require and supply it with any information it may ask for.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Private and Military Secretaries to the President, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, Planning Commission and the Ministries of the Government of India as well as the State Governments.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. CHAKRAVARTI, Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 27th August 1968

No. 24/3/68-*FP.*—In pursuance of the Resolution of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 1/29/58-FP dated the 5th February, 1959, as amended from time to time, the Central Government has nominated Shrimati Sarala Sheth as member of the Film Advisory Board, Bombay, with effect from the 19th June, 1968 *vice* Shrimati T. V. Dehejia, for a term of two years.

BANU RAM AGGARWAL, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968